उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 28/2004.

आवेदक/दावेदार : जगमेन बाई विधवा. घुरुवा आयु लगभग 50 वर्ष जाति –घासी,निवासी-ग्राम बडाकपारा, सूरजपुर पो.थाना और तह. सूरजपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग).

विरुद्ध

उत्तरवादी :

1. उमा प्रसाद पुत्र. जलेश्वर प्रसाद आयु लगभग 38 वर्ष,व्यवसाय वाहन चालक निवासी- उपस्थित द्वारा अजय कुमार अग्रवाल मुख्य मार्ग , जिला सरगुजा (छ.ग).
2. अजय कुमार अग्रवाल पुत्र- महेन्द्रराम आयु लगभग 37 वर्ष,व्यवसाय-व्यापारी निवासी- मुख्य मार्ग , जिला- सरगुजा (छ.ग).
3. ओरिएंटल बीमा कम्पनी । द्वारा शाखा प्रबंधक अम्बिकापुर स्टेट बैंक के पास अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत सिविल पुनरीक्षण

(आदेश दिनांक 01/01/2004 प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा प्रकरण क्रमांक 0/2003 में पारित आदेश दिनांक 01/01/2004 से व्यथित होकर)

जगमेन बाई विधवा. घुरुवा आयु लगभग 50 वर्ष ,निवासी-ग्रामडाकपारा, सूरजपुर पो.थाना और तह. सूरजपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग).

विरुद्ध

उमा प्रसाद पुत्र. जलेश्वर प्रसाद आयु लगभग 38 वर्ष एवं अन्य

आदेश

08/03/2024

Sd/
एल.सी .भादू
जज
8th –03–2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 28/2004.

जगमेन बाई विधवा. घुरुवा आयु लगभग 50 वर्ष ,निवासी-ग्राम बडाकपारा, सूरजपुर पो.थाना और तह. सूरजपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उमा प्रसाद पुत्र . जलेश्वर प्रसाद
आयु लगभग 38 वर्ष एवं अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री डी.एन. प्रजापति।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश
(10 मार्च, 2004 को पारित)

द्वारा - श्री एल.सी. भादू न्यायाधीश

आवेदक/दावेदार जगमेन बाई ने यह सिविल पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर, जिला सरगुजा द्वारा प्रकरण क्रमांक 0/2003 में पारित आदेश दिनांक 01/01/2004 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है।

2. इस सिविल पुनरीक्षण को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदिका घुरुवा का पति, जो कि आवेदिका क्रमांक 2 दीपक कुमार का पिता है और आवेदिका क्रमांक 3 गुलबी बाई का पुत्र है, शाइनिंग

स्कूल में मजदूर और रिक्शा चालक के रूप में काम करता था और वह शाइनिंग स्कूल के बच्चों को उनके निवास से स्कूल ले जाता था और स्कूल से उनके निवास पर वापस लाता था और इसके लिए उसे 3,000/- रूपये प्रतिमाह मिलते थे और शेष अवधि के लिए वह रिक्शा चालक के रूप में कार्यरत था।

३. दिनांक 09/03/1999 की रात्रि लगभग 8 बजे जब घुरुवा अंबिकापुर बैकुंठपुर मार्ग पर राम मंदिर के सामने था, तभी उसे ट्रक क्रमांक एम.पी. 27-बी-0847 ने टक्कर मार दी, जिसे उमा उतावलेपन और लापरवाही से चला रही थी, जिसके परिणामस्वरूप घुरूवा नीचे गिर गया, उसका सिर ट्रक के पहिये के नीचे कुचल गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसलिए, घुरूवा के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा मामला दायर किया गया था। प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर ने अपने दिनांक 29/04/2000 के अधिनिर्णीत राशि के तहत उपरोक्त दावाकर्ताओ के पक्ष में 1,97,200/- रुपये की राशि का आदेश दिया और यह आदेश दिया गया कि वे दावे की तिथि से अधिनिर्णीत राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। आगे यह आदेश दिया गया कि अधिनिर्णीत राशि को ब्याज के साथ जमा करने के बाद, राशि का भुगतान जगमेन बाई को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाए और आगे यह आदेश दिया गया कि 20,000/- रुपये दीपक कुमार पुत्र के नाम से जमा किया जाए। मृतक घुरूवा की मृत्यु के पश्चात 5,000/- रूपये गुलबी बाई के नाम से जमा किया जाए तथा शेष राशि जगमेन बाई के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में सात वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाए तथा उक्त राशि को तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय की अनुमति से किसी आवश्यकता के आधार पर निकालने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु जमा की पूर्ण अवधि पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. जगमेन बाई की ओर से दिनांक 24/12/2003 को न्यायाधिकरण के समक्ष 15,000/- रुपए की निकासी की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि उनकी पोती सुशीला के विवाह के लिए यह राशि आवश्यक थी, जो 03/01/2004 को तय हुई थी और यह अनुरोध किया गया था कि उसे 33,920/- रुपए की जमा राशि में से 15,000/- रुपए की राशि निकालने की अनुमति दी जाए। विद्वान न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 01/01/2004 के माध्यम से इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सुशीला आवेदक के साथ कब से रह रही थी और सुशीला के माता-पिता कहां रह रहे थे और केवल इसलिए कि सुशीला के विवाह तय हो गई है, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि सुशीला आवेदक पर आश्रित है और वह आवेदक के साथ रह रही है। इसलिए, आवेदक राशि की निकासी के लिए हकदार नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सुशीला का भरण-पोषण आवेदक द्वारा किया जा रहा है, इसके अलावा वह आवेदक पर आश्रित है, इसलिए, आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस संबंध में, माननीय **सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1631 में प्रतिवेदित के.एस.आर.टी. कॉर्पोरेशन बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य** के प्रकरण में दुर्घटना दावे की राशि जमा करने और साथ ही उसे जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जो कि **1982 (1) 23 गुजरात एलआर 756 में प्रतिवेदित मूलजीभाई अजरामभाई हरिजन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों को दोहराते हुए तथा अनुमोदित करते हुए किया गया है, जो सुसंगत है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

"(1) दावा न्यायाधिकरण को अप्राप्त्वयो के प्रकरण में, अप्राप्त्वय को दिए गए मुआवजे की राशि को कम से कम आप्राप्त्वय के वयस्क होने की दिनांक तक दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करने का आदेश देना चाहिए। यद्यपि अभिभावक या निकटतम मित्र द्वारा किए गए व्यय को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है;

(ii) अशिक्षित दावाकर्ताओं के प्रकरण में भी दावा न्यायाधिकरण को ऊपर (i) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन यदि जीविकोपार्जन के लिए किसी चल या अचल संपत्ति, जैसे कृषि उपकरण, रिक्शा आदि की खरीद के लिए एकमुश्त भुगतान की आवश्यकता है, तो न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है कि राशि वास्तव में खर्च की गई है या उद्देश्य और मांग पैसे निकालने का एक बहाना नहीं है;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) अर्ध-साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में न्यायाधिकरण को सामान्यतः ऊपर (1) में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, जब तक कि वह लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो कि पूरी राशि या उसका हिस्सा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है।अपनी आजीविका कमाने के लिए ऊपर (ii) में उल्लिखित कुछ संपत्ति खरीदना, ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि राशि उस उद्देश्य के लिए निवेश की जाए जिसके लिए इसकी मांग की गई है और भुगतान किया गया है;

(iv) साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में भी न्यायाधिकरण ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, ऊपर (ii) और (iii) में निर्धारित छूट के अधीन, यदि दावेदार की आयु, वित्तीय पृष्ठभूमि और समाज के स्तर जिससे वह संबंधित है और ऐसे अन्य विचारों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण दावेदार के व्यापक हित में और उसे दिए गए मुआवजे

की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश देना आवश्यक समझता है;

(v) विधवाओं के प्रकरण में दावा न्यायाधिकरण को अनिवार्यतः ऊपर (i) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए;

(vi) व्यक्तिगत चोट के मामलों में यदि आगे उपचार आवश्यक है तो दावा न्यायाधिकरण उसके बारे में संतुष्ट होने पर, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसी राशि की निकासी की अनुमति देगा जो ऐसे उपचार के लिए खर्च करने के लिए आवश्यक है;

(vii) उन सभी प्रकरणों में जिनमें निवेश दीर्घकालिक सावधि जमा के रूप में किया जाता है, यह शर्त पर होना चाहिए कि बैंक सावधि जमा पर कोई ऋण या अग्रिम की अनुमति नहीं देगा और निवेश की गई राशि पर ब्याज का भुगतान दावेदार या उसके अभिभावक को, जैसा भी मामला हो, सीधे मासिक आधार पर किया जाएगा;

(viii) सभी मामलों में न्यायाधिकरण को दावाकर्ताओ को आपातकालीन स्थिति में निकासी के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसी आकस्मिकता से निपटने के लिए, यदि दी गई राशि पर्याप्त है, तो दावा न्यायाधिकरण इसे एक से अधिक सावधि जमा में निवेश कर सकता है ताकि यदि आवश्यक हो तो ऐसी एक एफ.डी.आर. को समाप्त किया जा सके।

दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति के प्रकरण में न्यायाधिकरणों को इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए।"**गोपालकृष्णन नायर बनाम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तिरुवनंतपुरम और अन्य प्रकरण** में केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी यही निर्णय दिया गया है, जिसको प्रतिवेदित **ए.आई.आर. 2003 केरल 255** में दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.यदि हम उपरोक्त दिशा-निर्देशों पर गौर करें, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "लाभार्थी द्वारा अज्ञानता, निरक्षरता या शोषण की संवेदनशीलता के कारण अपना चारा बर्बाद होने से बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं" यहां तक कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुआवजे की दीर्घकालिक सावधि जमा केवल अप्राप्तवयो , निरक्षर दावाकर्ताओ और विधवाओं के प्रकरण में अनिवार्य है। निराक्षर दावाकर्ताओ के प्रकरण में न्यायाधिकरण को जीविकोपार्जन के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति, जैसे, कृषि उपकरण, रिक्शा आदि की खरीद को प्रभावित करने के लिए एकमुश्त भुगतान के अनुरोध पर विचार करने की अनुमति है। हालांकि, ऐसे मामलों में न्यायाधिकरण को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वास्तव में उद्देश्य के लिए खर्च की गई राशि और मांग पैसे निकालने के लिए एक धोखा नहीं है। अर्ध-निरक्षर किसी दावाकर्ताओ के प्रकरण में, न्यायाधिकरण को आमतौर पर क्षतिपूर्ति की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करना चाहिए, लेकिन यदि न्यायाधिकरण लिखित रूप में अनुरोध के लिए संतुष्ट है, तो राशि का पूरा या हिस्सा व्यवसाय के विस्तार और मौजूदा व्यवसाय के लिए या अपनी आजीविका कमाने के लिए ऊपर (ii) में उल्लिखित कुछ संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक है, ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि राशि उसी उद्देश्य के लिए निवेश की जाए जिसके लिए इसकी मांग की गई है और भुगतान किया गया है। साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में, मुआवजे की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करना अनिवार्य नहीं है। दिशानिर्देश संख्या (iv) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति यह है कि साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में भी न्यायाधिकरण उपरोक्त (i) में बताई गई प्रक्रिया का सहारा ले सकता है जबकि दिशानिर्देश संख्या (i), (ii), (iii) और (v) में अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है कि साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में भी न्यायाधिकरण उपरोक्त (i) में बताई गई प्रक्रिया का सहारा ले सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) में दर्शाई गई प्रक्रिया तभी लागू होगी जब दावेदार की आयु, वित्तीय पृष्ठभूमि और उसके समाज के स्तर तथा ऐसे अन्य विचारों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण को लगे कि दावेदार के व्यापक हित में और दिए गए प्रतिकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करना आवश्यक है। इसलिए न्यायाधिकरण को पर्याप्त विवेकाधिकार दिया गया है कि वह मुआवजे की राशि को दीर्घकालिक जमा में निवेश करने पर जोर न दे तथा साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में पूरी राशि भी जारी कर दे। हालांकि दुर्भाग्य से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अक्सर बहुत कठोर रुख अपनाते हैं और लगभग सभी मामलों में यंत्रवत आदेश देते हैं कि प्रतिकर की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश किया जाएगा। वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अप्राप्त्वयो , अशिक्षित दावाकर्ताओ और विधवाओं तथा अर्ध-निराक्षर व्यक्तियों और साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में किए गए अंतर को समझे बिना ऐसा कठोर और यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। न्यायाधिकरण हमेशा कठोर फार्मूले का पालन करते हैं, जिसमें राशि की निकासी की अनुमति नहीं दी जाती है, यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां "लाभार्थी द्वारा अज्ञानता, निरक्षरता या शोषण की संवेदनशीलता के कारण चारा बर्बाद होने की कोई संभावना या संभावना नहीं होती है", न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करने का निर्देश दिया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की भावना और दावाकर्ताओ की वास्तविक आवश्यकताओं की पूरी तरह से अनदेखी करता है। यहां तक कि साक्षर व्यक्तियों के प्रकरण में भी, न्यायाधिकरण स्वतः ही मुआवजे की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करने का आदेश दे रहे हैं, यहां तक कि उम्र या वित्तीय पृष्ठभूमि या दावेदार के समाज के स्तर या ऐसे अन्य विचारों को ध्यान में रखे बिना, जहां न्यायाधिकरण को ऐसा निर्देश देना आवश्यक लगता है। दावेदार के व्यापक हित में तथा प्रतिकर की राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निवेश किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वास्तव में तथा व्यवहार में अपवाद को सामान्य बना दिया गया है। न्यायाधिकरण मुआवज़े की राशि वापस लेने के दावाकर्ताओ के आवेदनों का यांत्रिक तरीके से तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की भावना तथा विषय-वस्तु पर उचित ध्यान दिए बिना निपटारा कर रहे हैं तथा इससे दवाकर्ताओ को गंभीर अन्याय तथा कठिनाई हो रही है। न्यायाधिकरण इस गलत धारणा से बाधित प्रतीत होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक प्रकरण में मुआवज़े की राशि को दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में न्यायाधिकरण प्रतिकर की पूरी राशि दावाकर्ता को जारी नहीं कर सकता, भले ही वह दावाकर्ता द्वारा मांगी गई हो। इसलिए, यह उचित समय है कि न्यायाधिकरणों को न्याय के हित में अपने सोच तथा दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देश व्यापक हित में तथा दावाकर्ताओ के हितों की रक्षा के लिए हैं, ताकि लाभार्थी द्वारा अज्ञानता, निरक्षरता या शोषण की प्रवृत्ति के कारण अपना हिस्सा गँवाए जाने से बचाया जा सके। इसलिए, जब भी दावेदार द्वारा राशि वापस लेने के लिए आवेदन किया जाता है, तो न्यायाधिकरण को हमेशा यह देखना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि दावेदार परिवार की तत्काल आवश्यकताओं जैसे कि उपचार के लिए चिकित्सा व्यय तथा अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए राशि वापस लेने की मांग कर रहा है, जो कि दावाकर्ता को कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए वहन करने होंगे। यदि राशि परिवार की बेहतरी के लिए निवेश के लिए मांगी जा रही है, जैसे कि व्यवसाय में निवेश, कुछ संपत्ति खरीदने तथा अन्य चीजों के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायाधिकरणों को ऐसे आवेदन पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ आवेदनों पर संकीर्ण सोच और यांत्रिक तरीके से निर्णय न लें।

उन्हें यह देखना होगा कि राशि वास्तविक आवश्यकता के लिए निकाली जा रही है या नहीं, साथ ही यह भी देखना होगा कि राशि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जा रही है जिसके लिए राशि निकाली जा रही है।

8. उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में, यदि हम वर्तमान आवेदक के प्रकरण को देखें, तो उसने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी पोती सुशीला की विवाह के लिए 33,920/- रुपये में से 15,000/- रुपये निकालने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। आक्षेपित आदेश से ही पता चलता है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदार को यह साबित करने का अवसर दिए बिना आवेदन को खारिज कर दिया कि उसकी पोती सुशीला उसके साथ रह रही थी और एक दादी के रूप में उसे अपनी पोती की विवाह में खर्च करना था। हिंदू परिवारों में दादी को भी माता-पिता द्वारा किए गए खर्च के बावजूद पोते की विवाह में खर्च करना पड़ता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट नहीं था, तो न्यायाधिकरण को आवेदक को यह दिखाने का अवसर देना चाहिए था कि जो राशि मांगी जा रही है, वह वास्तव में पोती की विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। इसलिए, आक्षेपित आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विद्वान न्यायाधिकरण ने आवेदक के आवेदन को खारिज करके अवैधता की है।

9. आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और विद्वान न्यायाधिकरण को आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और प्रकरण में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/
एल.सी .भादू
न्यायाधीश 0
10–03–2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By VIRENDRA VERMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur